कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, [illegible]

६५।

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

[स्थायी या अस्थायी]

Notice Upload [illegible]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

([illegible])

SAR 09/12-13 ....[illegible]..........विभाग

........................वर्ष........................रजिस्टर सं०........................

श्रीमती सरस्वती देवी .... फगुना कुम्हार

हरईदोगाद .... बनाम

........................वर्ष........................के अधीन

........................अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख........................

क्रम संख्या	कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्प का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
						25-11-16
					7-2-18	19-12-16
				7-8	14-3-18	16-1-17
				25-8	18-4-18	13-2-17
				15-1-20	30-5-18	22-3-17
				22-4-20	5-8-18	17-4-17
				03/02/2021	28-11-18	7-5-17
				17/3/21		12-6-17
				9-06-2021	9-1-19	12-7-17
				8-9-2021	13-2-19	16-8-17
				23/10/2021	13-3-19	
				22-12-2021		
				22-2-22	18-6-19	13-9-17
				12-4-22	25-9	18-10-17
				21-6-22		
				26-7-22		28-11-17
				26/8/22		10-1-18
				23/11/22		
				10-1-23		
				3-2-2023		

आदेश-पत्र

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्र ता० .... से .... 2013 .... तक सरस्वती देवी
जिला-सिमडेगा, संख्या SAR 09/2012-13
मुकदमा का प्रकार:- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम
फगुना कुम्हार

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
29-4-2013	श्रीमती सरस्वती देवी पिता पति पिठ्ठू राम भगत साकिन मराराम थाना ठेठईटांगर जिला-सिमडेगा ने आवेदन-पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी फगुना कुम्हार पिता स्व० जोड़ रामनाथ कुम्हार साकिन- भवनाडीपा थाना ठेठईटांगर जिला-सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	

ग्राम	खाता सं0-	प्लॉट सं0	रकवा
भवनाडीपा	25	567	3.72

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 13-5-2013 को उपस्थापित करें।

30-9-16
24-10-16
25-11-16

29/4.13

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 9/2013–14
दिनांक 10.01.23

सरस्वती देवी
बनाम
फगुना कुम्हार

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक सरस्वती देवी, पिता–विष्णु राम भगत, साकिन–मरारोमा, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी फगुना कुम्हार, पिता–स्व0 जोड़े रामनाथ कुम्हार, साकिन–भवनाडीपा, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–9/2013–14 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
भवनाडीपा	25	567	3.72 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, टी0टांगर को इस न्यायालय के पत्रांक–111/विधि, दिनांक 02.05.2013, पत्रांक–407/विधि, दिनांक 16.09.2014, पत्रांक–166/विधि, दिनांक 20.07.2016, पत्रांक–473/विधि, दिनांक 23.11.2016, 63/विधि, दिनांक 14.02.2017 एवं 142/विधि, दिनांक 17.04.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, टी0टांगर के पत्रांक–214(ii), दिनांक 29.05.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–भवनाडीपा, थाना नं0–138, खाता नं0–25, प्लॉट नं0–567, रकबा–3.72 एकड़ भूमि पर लगभग 35 वर्षो से दखल–कब्जा है। मौजा–भवनाडीपा, खाता नं0–25, प्लॉट नं0–567, रकबा–3.72 एकड़ भूमि का खतियानी रैयत बासु कालो वल्द जटु कालो वो जयपाल कालो वो घुया कालो वो मंगरा कालो पेशरन जेठो कालो वो महिन्द्र कालो वो ललिन्द्र कालो वो अघनु कालो पेशरन छाटू कालो कौम छोरा के नाम दर्ज है। आवेदिका का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। पंजी–II रैयत खाता नं0–25 सरस्वती देवी, पति–विष्णु राम भगत के नाम दर्ज है। पृष्ट सं0–199 में दर्ज है। दाखिल–खारिज वाद सं0–23R27/1996-97 है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 22.04.2020 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–9/2013–14 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2023.01.18 16:09:56 +05:30
Location: 192.168.188.80

CamScanner